संख्या:– 854/77–4–20–35एन/19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा
यूपीसीडा/यूपीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

विषयः– अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम–37 में यह प्राविधान किया गया है कि:–

"सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।"

2. उक्त नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–474/77–4–19–474, दिनांक 08.03.2019 को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्मिकों से सम्बन्धित निम्नलिखित शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किए जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड–पे रू0 4600/– तक के कार्मिकों के (भर्ती/प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण को छोड़कर) अधिष्ठान के समस्त कार्य ।
2. वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड–पे रू0 5400/– के अधिकारियों के निलम्बन एवं लघु दण्ड के अधिकार।

3. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि सम्मत कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/77–4–20तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।